रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 26, 2012/श्रावण 4, 1934 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 106
No. 127] DELHI, THURSDAY, JULY 26, 2012/SHRAVANA 4, 1934 [N.C.T.D. No. 106

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 जुलाई, 2012

सं. फा. 11(99)/2005-उर्जा/2508.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं. फा. यू-11030/2/2003/यूटीएल के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल श्री मुकेश कुमार शर्मा, सहायक विद्युत निरीक्षक, श्रम विभाग, दिल्ली सरकार को दिल्ली में पूर्वोक्त अधिनियम के अन्तर्गत विद्युत निरीक्षक के पद को सौंपी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए बिना किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक के नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
वाई.वी.वी.जे. राजाशेखर, अति. सचिव

DEPARTMENT OF POWER

NOTIFICATION

Delhi, the 26th July, 2012

No. F. 11(99)/2005/Power/2508.—In exercise of powers conferred by Section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. U-11030/2/2003/UTL, dated the 20th February, 2004, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint Sh. Mukesh Kumar Sharma, Assistant Electrical Inspector of the Department of Labour, Government of NCT of Delhi as Electrical Inspector in the Government of National Capital Territory of Delhi for the purposes of exercising the statutory powers and performing the functions under Section 162 of the Electricity Act, 2003 without any extra remuneration.

By Order and in the name of the
Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

Y.V.V. J. RAJASEKHAR,
Addl. Secy.

सहकारिता विभाग

(सहकारिता समितियों के पंजीयक का कार्यालय)

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 26 जुलाई, 2012

सं फा. 47/1395/जीएच/सीएनडी/2012/731-736.—दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम की धारा 127 (दिल्ली अधिनियम 3, 2004) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राजेंद्रा सहकारी समूह आवास समिति लि.

(सं. 1395/जीएच) स. अधिनियम की धारा 37 (1) (ख) दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (दिल्ली अधिनियम 3, 2004) के प्रावधानों से उन्मुक्त करते हैं तथा तदनुसार उक्त समिति की अतिक्रमण की अवधि व प्रशासक के कार्यकाल की अवधि को 13-9-2009 से 31-12-2012 अथवा जब तक कि तथाकथित समिति में प्रजातांत्रिक व्यवस्था पुनर्स्थापित हो जाने तक में जो भी पहले हो तक बढ़ाई जाती है।

COOPERATIVE DEPARTMENT

(Office of the Registrar, Cooperative Societies)

NOTIFICATIONS

Delhi, the 26th July, 2012

No.F. 47/1395/GH/CND/2012/731-736.—In exercise of the powers coferred by Section 127 of the Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby exempts the Rajendra Cooperative Group Housing Society Ltd. (Regn. No. 1395/GH) from the provisions of Section 37(1)(b) and accordingly extends the period of supersession of the Managing Committee and the term of Administrator of the said Society for further period from 13-9-2009 to 31-12-2012 or till the democratic set-up is restored, whichever is earlier.

सं फा. 47/पालिसी/आरसीएस/2012/243/170.—दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 114 की उप-धारा (1) तथा (2) तथा दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 द्वारा पठित नियम 3, 4, 9 एवं 10 और दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण नियम, 2006 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सी.पी. त्रिपाठी को दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में अवधि तीन वर्ष उनकी तिथि के प्रभाव से जिनको वह पद ग्रहण करते हैं, नियुक्त किया जाता है। सेवा की अन्य शर्तें वह होंगी, जो दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण नियम, 2006 में दी गई हैं।

No. F. 47/Policy/RCS/2012/243/170.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 114 of the Delhi Cooperative Societies Act, 2003 (Delhi Act No. 3 of 2004) and read with Rule 3, 4, 9 and 10 of the Delhi Cooperative Tribunal Rules, 2006, the Government of the National Capital Territory of Delhi hereby appoint Sh. C.P.Tripathi, IAS (Retd.) as member of Delhi Cooperative Tribunal for a period of 3 years with effect from the date he takes over the charge of this office. Other terms and conditions of service shall be as envisaged in the Delhi Cooperative Tribunal Rules, 2006.

सं. फा.47/नीति/पं.स.स./2012/243/171.—दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण अधिनियम, 2006 के नियम 12 के उप-नियम (2) पठित दिल्ली सहकारी अधिनियम, 2003 की धारा 114 और 137 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री आर.के. जैन, अध्यक्ष, दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण एवं डा. आर. एल. मीणा, सदस्य, दिल्ली सहकारी न्यायाधिकरण के पद से तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
जी.पी. सिंह, अति. पंजीयक

No.F. 47/Policy/RCS/2012/243/171.—In exercise of the powers coferred by sub-rule (2) of Rule 12 of Delhi Cooperative Tribunal Rules, 2006 read with Sections 114 and 137 of the Delhi Societies Act, 2003, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby remove and relieve Sh. R.K.Jain from the post of Chairman, Delhi Cooperative Tribunal and Dr. R.L.Meena, from the post of Member, Delhi Cooperative Tribunal with immediate effect.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

G. P. SINGH, Addl. Registrar

व्यापार एवं कर विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 जुलाई, 2012

सं. फा. 7/239/नीति-1/वैट/2009/378-391.— दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 31 के उप-नियम (5) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राजेन्द्र कुमार, आयुक्त, मूल्य संवर्धित कर, ई-भुगतान के लिए निर्धारित करता हूँ कि समस्त पंजीकृत व्यापारी एवं अनुबंधी टैन धारक दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत अपने देयकर, ब्याज, अर्थदंड या कोई अन्य राशि का भुगतान पूर्व निर्धारित बैंकों के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा, बैंक ऑफ इंडिया के ई पोर्टल से करेंगे।

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 28 व उप-नियम (3) एवं नियम 59 के उप-नियम (2) के उद्देश्य से इन्टरनैट संबंधित बैंकों की वैबसाइट पर किए गए भुगतान के समय छपे यूनिक चालान आइडेंटीफिकेशन नंबर (19 अंकीय सी. आई. एन.) वाले चालान के सी पार्ट को रिटर्न के साथ संलग्न होने वाले भुगतान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

व्यापारी एवं अनुबंधी (टैन धारक) अपने रिकार्ड के लिए संबंधित बैंक से हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी चालान के पार्ट डी की कॉपी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से किए गए भुगतान को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद ही, जैसाकि प्रचलन में है, क्रेडिट किया जाएगा। ई-भुगतान की योजना की मुख्य विशेषताएं संलग्नक-1 में वर्णित हैं।

उपरोक्त बैंक सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के सुरक्षा एवं अन्य प्रावधानों का पालन करेंगे ।

राजेन्द्र कुमार, आयुक्त (मूल्य संवर्धित कर)

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 26th July, 2012

No.F. 7(239)/P-I/VAT/2009/378-391.—In exercise of the powers conferred under sub-rule (5) of Rule 31 of the DVAT Rules, 2005, I, Rajendra Kumar, Commissioner, Value Added Tax, do hereby prescribe for all registered dealers and contractees (TAN holders) to make payment of their tax, interest, penalty or any other amount due under Delhi Value Added Tax Act, 2004, compulsorily through electronic mode of payment from the e-payment portals of Bank of India in addition to banks already notified.

Part C of the challan havingUnique Challan Identification Number (19 digit CIN) printed at the time of making payment on internet (Banks web site) will be accepted as proof of payment for enclosing with the return for the purpose of sub-rule (3) of Rule 28 and sub-rule (2) of Rule 59 of Delhi Value Added Tax Rules, 2005. The dealers and contractees (TAN holders) will obtain signed and stamped copy of Part D of the challan from the bank for their record. The amount so deposited will however be credited after confirmation from Reserve Bank of India as in operation now. Salient features of the scheme of e-payment are enclosed at Annexure-I.

The above-referred Bank shall adhere to the security and other provisions of Information Technoloy Act, 2000.

RAJENDRA KUMAR, Commissioner

(Value Added Tax)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.